विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/च.श्रे.क./2019/1051 दिनांक : 06/11/2019

जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2019

1. राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथासंशोधित) [Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017] के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालत सहितों) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रूपये 12,400/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं।

विशेष नोटः–

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017, विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in, समस्त जिला न्यायालयों की वेबसाईट्स एवं ई–मित्र के पोर्टल http://emitra.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(2) आवेदक आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह सुसंगत नियमों के तहत अधिकथित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। पात्र अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को अपनी पात्रता की उपधारणा करने का हकदार नहीं बनायेगा। भर्ती प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता, जिनका पद के लिए चयन किया गया है, किसी भी स्तर पर खारिज कर सकता है, यदि वे पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र पाये जाते हैं।

2. **रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण (Nubmer of Vacancies & Reservation) :–**

जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) के लिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण, जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार निम्न संलग्नानुसार है :–

A. **जिला न्यायालयों हेतु :–**

i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– **संलग्नक – 1**

ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– **संलग्नक – 2**

B. **जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) हेतु :–**

i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– **संलग्नक – 3**

ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– **संलग्नक – 4**

नोटः–

i. उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

06.11.19

ii. यदि भर्ती प्राधिकारी को उपर्युक्त विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी से, विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाती है तो वह ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

3. **अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas) हेतु आरक्षित पदों के सन्दर्भ में** :–

i. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उप आयोजना क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किये गये अनुसूचित जनजातीय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।

ii. जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक आबूरोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं आबूरोड़ हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जायेगा।

iii. इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा।

iv. अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जा सकेगी।

v. "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो –

(क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है;

(ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता–पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है; या

(ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी ळें

4. **विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–**

i. **महिलाओं (Women) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–**

महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न–विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Compartmentalized Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

ii. **दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–**

(अ) दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का दिव्यांग आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित प्रवर्ग (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

(ब) दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

iii. **उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sports Persons) के आरक्षण के संन्दर्भ में:–**

(अ) "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें राज्य के ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित हैं, जिन्होनें–

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो; या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो; या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो; या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

06.11.19

(ब) उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

iv. **भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) के आरक्षण के संन्दर्भ में:–**

भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण कुल रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

महत्वपूर्ण नोट (Important Notes):–

- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया आय प्रमाण–पत्र (Income Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर नियमानुसार जारी जाति एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर के आधार पर जारी जाति एवं आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
- चयन हेतु सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर संस्थानुसार (Institute - wise), निम्न वरीयता क्रम में तैयार की जायेगी :

  प्रथम वरीयता:– जिला न्यायालय।

  द्वितीय वरीयता:– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (तालुका विधिक सेवा समिति व स्थाई लोक अदालत सहित)
- अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा।
- गैर–अनुसूचित क्षेत्रों (Non-TSP Areas) के आवेदक, जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे।
- सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा, यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक जिला न्यायक्षेत्र हेतु की जायेगी। जो कि अभ्यर्थीयों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी।
- प्राथमिकतानुसार पांच जिला न्यायक्षेत्रों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी जिला न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर सकेगा, जिसमें वह उचित समझे।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के उसी सम्बन्धित अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के आवेदक, ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) का स्पष्ट रूप से चयन करें।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) को प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, तत्पश्चात किन्हीं अन्य चार गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की गैर–अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट लिस्ट के अध्यधीन ही रहेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में, उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं कर सकेंगे।

06.11.19

विस्तृत विज्ञापन

- उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियां नहीं होने के कारण इसे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है।

5. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification)**:–

(i) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सैकण्डरी; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

6. **शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness)** :–

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे भर्ती प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. **राष्ट्रीयता (Nationality)**:– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का नागरिक हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो :

परन्तुक– प्रवर्ग (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

8. **आयु (Age)**:–

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन **(1 जनवरी, 2020)** को **18 वर्ष** की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और **40 वर्ष** की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु :–

(i) उपर्युक्त उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा को,–

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में **10 वर्ष** तक, शिथिल किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों और अन्य महिला अभ्यर्थियों के मामले में **5 वर्ष** तक शिथिल किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से सेवा सम्पादित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(iii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा, यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को **कैडेट अनुदेशक के रूप में** राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रदान की गयी कुल सेवा अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(v) विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिलाओं (परित्यक्ता) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी;

(vi) दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, उसी प्रकार अनुज्ञेय होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य में लागू हो;

(vii) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(viii) रिजर्विस्ट यथा रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों हेतु ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(ix) उपरोक्त आयु सीमा में शिथिलता केवल एक श्रेणी हेतु ही अनुज्ञेय होगी।

नोट :– **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, 2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय की सूचना क्रमांक –रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2019/254 दिनांक 22.02.2019 द्वारा रद्द कर दिया गया था व उक्त भर्ती के आवेदकों को नवीन प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी अतः ऐसे पुराने आवेदक एतस्मिनपूर्व किसी भी बात के होते हुए**

06.11.19

वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आयु की दृष्टि से पात्र (eligible) समझे गये हैं।

9. **चरित्र (Character):–** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे सच्चरित्रता के ऐसे दो प्रमाण पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके सम्बन्धित न हों।

10. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee):–**

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी:–

सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / अन्य राज्य के आवेदक	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विधवा अथवा परित्यक्ता / दिव्यांगजन
रूपये 150 / –	रूपये 100 / –

नोट :–(i) जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2017, हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 64 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में आवेदन किया था व निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाया था, ऐसे आवेदकों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

(ii) यदि कोई आवेदक, जिसने पूर्व भर्ती, 2017 हेतु कोई आवेदन नहीं किया था, वह उक्त पूर्व भर्ती के किसी अन्य आवेदक की Application ID के आधार पर परीक्षा शुल्क बचाने या अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु, आवेदन करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जायेगी और वह आपराधिक अभियोजन हेतु भी दायी होगा।

11. **परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee):–**

परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

12. **नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं (Disqualifications for Appointment):–**

1. कोई पुरूष / महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां / पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।
2. कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

   स्पष्टीकरण:– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।
4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

   परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है:

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा:

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो:

   परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

13. **परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम एवं चयन की रीति (Scheme, Syllabus of Examination and Mode of Selection):–**

(1) कार्यालय चपरासी / समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें **लिखित परीक्षा और साक्षात्कार** सम्मिलित हैं, जो कि क्रमशः **85 और 15 अंक** के होंगे।

(2) सामान्य लिखित परीक्षा 2 घण्टे की अवधि की होगी, जिसमें मैट्रिक मानक (Matriculation Standard) के वस्तुनिष्ठ प्रकार–बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्न को शामिल करते हुए होंगे –

(क) सामान्य हिन्दी,

(ख) सामान्य अंग्रेजी,

06.11.19

(ग) राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां।

(3) लिखित परीक्षा में कुल 85 प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक) होंगे जिनमें सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां हेतु क्रमशः 40, 25 एवं 20 प्रश्न हो सकेंगे। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

(4) लिखित परीक्षा ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

(5) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, कुल रिक्तियों (प्रवर्गवार) के पांच गुना सीमा तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने हेतु योग्य घोषित किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः– लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(6) साक्षात्कार, उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को आंकलित करने के उद्देश्य से होगा।

(7) चयन के लिए, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

स्पष्टीकरणः–

(i) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

(ii) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने के साथ–साथ, साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

(8) **अर्हक अंक (Qualifying Marks)** :–

(i) साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में **34 अंक** और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को **38 अंक** प्राप्त करने होंगे।

(ii) चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में कुल **40 अंक** और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कुल **45 अंक** प्राप्त करने होंगे।

(9) **लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus of Written Test)**:–

General Hindi :

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन।

General English :

Tenses, Articles, Active & Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Modals (Command, Request, Permission, Probability, Obligation), Synonyms, Antonyms, One word, Gender, Adjective, Verb, Editing & Omission, Arrangement of sentence, Complex & compound sentences, Vocabulary.

Rajasthani Culture and Dialects:

राजस्थानी लोकोक्तियां, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले, त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी – देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोक नृत्य।

14. **ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure for filling Online Application)**– ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया से सम्बन्धित दिशा–निर्देश यथोचित समय पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट www.hcraj.nic.in को समय समय पर देखते रहें।

15. **आवेदन करने की समय सीमा (Time Limit for Apply)** :–

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) **करने की समय सीमा दिनांक 18.11.2019 (सोमवार) को दोपहर 01.00 बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम दिनांक 17.12.2019 (मंगलवार) को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। **ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट–बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन–पत्र (Online Application) भरने की अंतिम दिनांक 17.12.2019 तक जमा की जा सकेगी, उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।**

16. **आवेदन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply)**:–

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।**

06.11.19

विस्तृत विज्ञापन

नोटः–राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4. परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने एवं Application Number प्राप्त होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

5. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।

17. **लिखित परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (Place, Month and Date of Written Test)**:–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है तथा आवश्यकता होने पर उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकेगी। आवेदक जिला मुख्यालयों में से किन्हीं तीन जिला मुख्यालयों का परीक्षा केन्द्र के रूप में प्राथमिकतानुसार चयन करेगा। किसी भी आवेदक द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में एक बार चयन कर लिए गए स्थान में, आवेदक की प्रार्थना पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अतः आवेदक ऑनलाईन आवेदन में परीक्षा केन्द्र के रूप में जिला मुख्यालयों का नाम चयन करने से पूर्व भली प्रकार विचार कर लें। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार **राजस्थान उच्च न्यायालय** के पास सुरक्षित है। **परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटन एवं उसमें परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।**

18. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate)**:–

राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों, जो कि नियमानुसार पात्रता धारक हो, को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय अथवा सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

19. **प्रवेश–पत्र (Admission Card)** :–

प्रवेश–पत्र के लिए अभ्यर्थी को SSO पोर्टल पर स्वयं की SSO ID एवं Password का उपयोग करते हुए लॉग इन करना होगा और फिर रिक्रूटमेन्ट पोर्टल के डैशबोर्ड में उपलब्ध लिंक Get Admit Card पर क्लिक कर प्रवेश–पत्र डाउनलोड करना होगा। **डाक से कोई प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा।** परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र Upload किए जाने की सूचना वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाईट www.hcraj.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।**

20. **अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाऐं (Other Important Instructions)**:–

(1) लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न–पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर प्रकाशित कर दी जायेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां राजस्थान उच्च न्यायालय को विहित समयावधि में भिजवाई जा सकेंगी। विहित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।

(2) **''राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006'', के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी।**

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी/समतुल्य पद) द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्यों का स्वरूप ऐसा होगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं। आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों एवं कर्तव्यों की समय–समय पर पालना करने बाबत् अंडरटेकिंग (ऑनलाईन आवेदन फार्म में उल्लेखित अनुसार) निष्पादित करनी होगी।

(4) अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण–पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

06.11.19

विस्तृत विज्ञापन

(5) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।

(7) लिखित परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।

(8) **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा–कक्ष/परीक्षा–केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आये। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुऐं, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है।**

(9) **जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।**

(10) **परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**

(11) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश–पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियां **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा सही और ठीक मान ली गई है। **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/परित्यक्ता (तलाकशुदा)/उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

(12) **अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम** :– परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में **अनुचित साधनों** का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।

(13) **अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग** :– कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी / भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी / भर्ती प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से और सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

(14) **संयाचना**:– नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

हैल्प लाईन (Help Line) :–

1. आवेदन फॉर्म भरते समय उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु 0294–3057541.
2. परीक्षा शुल्क जमा कराने में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु 0141–2221424 एवं 2221425
3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई–मेल द्वारा।
4. **उपरोक्त के अतिरिक्त** परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी हेतु 0291–2541042 एवं 2541388

हैल्प लाईन (Help Line) नम्बर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) ही उपलब्ध रहेंगे।

उक्त भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जावे। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई–मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।

06.11.19

रजिस्ट्रार (परीक्षा)